

14⁵/₂₄

पत्रावली चैशा वकील पार्थी खाजिए ।
बावजूड सूचना के अनुपस्थित स्थान
पर अपार्थी संप्र्या । ता 43 के विन्दु
शुक्रपड्डीय कार्यवाली अमल में वाई

अहमदाबाद
हुक्म जारी

जाती हैं। वकील जार्जी की एकपक्षीय
बध्म पुनी गयी। वकील जार्जी
ने निवेदन किया कि मूल दार्वे
के निस्तारण तक बेचान ना करें,
व मॉके के स्थगन को यथावत
रखा जावे। अतः वकील जार्जी
के निवेदन पर मूल दार्वे के निस्तारण
तक बेचान ना करें व मॉके के
स्थगन को यथावत रखा जाना है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर
मूल दार्वे के साथ संलग्न हैं।

